

सुरजमाल सिंह बनाम सरकार

21-1189

विद्वान् अभिभाषक अपीलांत उपस्थित। विद्वान् अभिभाषक अपीलांत ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांत द्वारा तहसील कोलायत के समक्ष वर्ष 2003 में बतौर भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 24-03-2003 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से 37 बीघा अनकमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए चक 14 वीएसडी के मुख्या नम्बर 46/47 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा व मुख्या नम्बर 46/32 के किला नम्बर 1 ता 12 में 12 बीघा कुल तादादी 37 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन कर दिया गया। उक्त आवंटन आज दिनांक तक अदालत मातहत द्वारा खारिज नहीं किया गया है। अपीलांत द्वारा वादग्रस्त भूमि जोकि आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांत को आवंटित की गई थी, के आवंटन आदेश/पट्टा जारी करने हेतु समय समय पर निवेदन किया जाता रहा है परन्तु आज दिनांक तक पट्टा जारी नहीं किया गया है, जबकि वादग्रस्त भूमि के आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा जारी करने का दायित्व अदालत मातहत का था।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा न तो अपीलांत के पक्ष में आवंटन पट्टा जारी किया गया वरन् इसके विपरीत अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर के अन्य व्यक्ति को आवंटन करने की कार्यवाही की जा रही है। चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांत को आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में दौराने अपील यदि वादग्रस्त भूमि का अन्य व्यक्ति को आवंटन किया गया तो अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा व प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियों उत्पन्न होंगी। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखते हुए वादग्रस्त भूमि का पट्टा अपीलांत के पक्ष में जारी करने के आदेश प्रदान करावें।


विद्वान् राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांत द्वारा अपीलाधीन अदेश दिनांक दिनांक 21-02-2004 के विरुद्ध अपील नांक 27-09-2019 को पेश की गई है। जोकि स्पट रूप से मियांद बाहर अपील है। वादग्रस्त भूमि अपीलांत को आवंटन होने के पश्चात् उक्त भूमि का पट्टा अपीलांत के पक्ष में जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांत को आवंटन पट्टा जारी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही चाराजोई करनी चाहिए थी। अपीलांत इस अपील के माध्यम से

किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 24-03-2003 को वादग्रस्त भूमि चक 14 बीएसडी के मुरब्बा नम्बर 46/47 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 46/32 के किला नम्बर 1 ता 12 में 12 बीघा कुल तादादी 37 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा/आदेश जारी करने हेतु समय-समय पर अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया जाता रहा है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के हक में आवंटन पट्टा जारी करने के स्थान पर वादग्रस्त भूमि अन्य को आवंटित करने की कार्यवाही की जा रही है।

इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम यह निर्देश देना उचित पाते हैं कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। अदालत मातहत अपीलांट के अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर दो माह की अवधि में विधि सम्मत निर्णय पातिर करें। तब तक वादग्रस्त भूमि चक 14 बीएसडी के मुरब्बा नम्बर 46/47 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 46/32 के किला नम्बर 1 ता 12 में 12 बीघा कुल तादादी 37 बीघा अनकमाण्ड भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे व अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ़्तर हो।

  
(रामरतन सौकरिया)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर

